

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 285

पत्थरगढी प्रार्थना पत्र संख्या :- 30 / 2024

1. हरि बिल्ड होम प्रा0 लि0 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उमेश कुमार सर्राफ, हाल पता सी 41, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

--- प्रार्थी

बनाम

1. छीतर पुत्र रामसहाय, जाति गुर्जर
2. राजू पुत्र रामसहाय, जाति गुर्जर
3. कालू पुत्र रामनाथ, जाति गुर्जर
4. सीताराम पुत्र रामनाथ, जाति गुर्जर
5. रामधन पुत्र रामनाथ, जाति गुर्जर
6. राजू पुत्र कालू, जाति गुर्जर
7. रामकरण पुत्र कालू, जाति गुर्जर
8. तेजपाल पुत्र भैरू, जाति गुर्जर
9. सुरज्ञान पुत्र गोपाल, जाति गुर्जर
निवासीगण ग्राम जुगलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

--- अप्रार्थीगण


प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128

सपठित धारा 111 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 18.06.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131/697 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/3 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3400 हैक्टेयर।



उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, कुल किता 30 कुल रकबा 6.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा, पटवार हल्का चिताणुकंला, भू. अभि. नि. बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। प्रार्थी की एकल खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा, पटवार हल्का चिताणुकंला, भू. अभि. नि. बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित पैरा नम्बर एक व दो में वर्णित सम्पत्ति का प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा काबिज काश्त है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13-07-2022 को श्रीमान् तहसीलदार जी, तहसील आमेर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/2054-57 दिनांक 13-04-2022 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौसी काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 आये दिन उक्त कृषि भूमि की सीमा पर विवाद करते हैं, प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सीमा पर नाजायज रूप से सीमा विवाद उत्पन्न कर मौके पर अशांति फैलाते हैं, इस कारण प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना कानूनन आवश्यक एवं उचित है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसमे वह अपनी आराजीयात के चारों तरफ तारबन्दी/पुख्ता बाउण्ड्री आदि कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, मौके पर शांति कायम हो सकें, इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायाहित में आवश्यक एवं उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131/697 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/3 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3500 हैक्टेयर कुल किता 30



Bsw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

कुल रकबा 6.1100 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.4400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा, पटवार हल्का चिताणुकला, भू. अभि. नि. बिलौची, तहसील आमेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या दस को फरमाने जाने की कृपा करे


प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी पूर्ण की गयी। प्रस्तुत ट्रेक रिपोर्ट अनुसार तलवी पूर्ण पायी गयी। तामिल बाद भी उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 09 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार, तहसील आमेर ने पत्र क्रमांक भूअ./3206 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाई जिसका सार इस प्रकार है:- ग्राम जुगलपुरा के आराजी ख0न0 117, 118, 120, 121 वगै0 कुल किता 30 रकबा 6.11 हैक्टे. व ख0न0 123 व 154 किता 02 रकबा 0.64 हैक्टे0 की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हरि बिल्ड होम प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय ई-74 भगत सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर जरिये डाईरेक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र रामकिशोर गर्ग, जाति महाजन, नि0 सी-41, लाजपत मार्ग, सी-स्कीम जयपुर हिस्स पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक वादपत्र उक्त वर्णित कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.07.2022 को श्रीमान तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश क्रमांक भूअ./2022/2054-57 दिनांक 13.04.22 की पालना में किया जा चुका है। उक्त भूमि का नजरी नक्शा मौका देखा गया। ख0न0 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162, 156, 164, 155, 163, 169, 167, 168, 166, 165, 154 किता 15 में वर्तमान में मौके पर भूमि रिक्त है(पडत है) एवं उक्त पर वादी का कब्जा है। ख0न0 142, 143, 122, 124, 121, 120, 117, 118, 130, 131, 132, 131/697, 129, 123, 38 किता 15 में मौके पर भूमि पडत है एवं अन्य व्यक्ति (पडोसी खातेदारो का कब्जा है, खेती करते है।) ख0न0 38, 42 पर मौके पर उक्त खसरो के आंशिक भाग पर अन्य व्यक्तियों के पक्के आवासीय मकान बने हुए है एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पक्के आवासीय मकानात बनाकर कब्जा किया हुआ है। उक्त भूमि के आसपास चारो ओर पडोसी खातेदारो की सूची संलग्न जमाबंदी अनुसार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगढी के दौरान भारी विरोध प्रदर्शन की संभावना है।

::- आदेश -::

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि :-

01. प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 120 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 124 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा



31
Baw
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

नम्बर 130 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 131/697 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 156 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/1 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/2 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/3 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 162/4 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 167 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, कुल किता 30 कुल रकबा 6.1100 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा, पटवार हल्का चिताणुकंला, भू. अभि. नि. बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर एवं भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर वाके ग्राम जुगलपुरा, पटवार हल्का चिताणुकंला, भू. अभि. नि. बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष में जमा करवाये

02. तहसीलदार, तहसील आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें।
03. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप-1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के आदेशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।
04. तहसीलदार, आमेर को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढी के माध्यम से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को किसी तरह का कब्जा हस्तांतरण नहीं करें।
05. यदि मौके पर कब्जा संबंधी विवाद है तो इस आदेश के माध्यम से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। कब्जा संबंधी मामलो में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में पृथक से प्रावधान है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आज दिनांक 18.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Baw
(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर